



भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

आरबीआई/2024-25/86

मुप्रवि (एनपीडी) सं. S2193/ 09.45.000/ 2024-25

अक्तूबर 30, 2024

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी बैंक

महोदया/ प्रिय महोदय,

बैंकनोट सॉर्टिंग मशीन: भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी मानक

बैंकनोट सॉर्टिंग मशीन – प्रमाणीकरण और उपयुक्तता सॉर्टिंग मापदंड के विषय में [दिनांक 01 जुलाई 2022 को जारी किए गए परिपत्र: मुप्रवि \(एनपीडी\) सं. S488/18.00.14/2022-23](#) का संदर्भ लें।

2. देश में बैंकनोट सॉर्टिंग अवसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श कर 19 मार्च 2024 को 'भारत के राजपत्र' में बैंकनोट सॉर्टिंग मशीन (एनएसएम) – 'IS 18663: 2024' के मानक को अधिसूचित किया है। मानक इस लिंक पर https://www.services.bis.gov.in/tmp/LITD42522283_07032024_1.pdf उपलब्ध है।

3. इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01 मई 2025 की प्रभावी तिथि से बैंक में केवल ऐसे ही एनएसएम मॉडल का उपयोग किया जाएगा, जो उक्त भारतीय मानक के अनुरूप हैं और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विधिवत प्रमाणित हैं।

भवदीय

(संजीव प्रकाश)

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक